कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य-05/2024 **दिनांक 07/07/2024**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

अपने पत्र संख्याःवीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 06.07.2024** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. गाजीपुर पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तश्कर व हत्या के अभियुक्त अब्बास खान पुत्र स्व0 मुर्तजा खान नि0 ग्राम मोहम्मदपुर थाना जमानियाँ जनपद गाजीपुर द्वारा अपने व अपनी पत्नी नजीबुन निशा तथा अपनी माँ मुहिबुन बीबी के नाम से 44 लाख रुपये वर्तमान कीमत की अर्जित अचल बेनामी सम्पत्ति को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

शासन द्वारा चिन्हित अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत दिनांक 09.05.2024 को प्रभारी निरीक्षक थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर द्वारा प्रेषित आख्या पर जिलाधिकारी महोदया गाजीपुर द्वारा पारित कुर्की आदेश के अनुपालन में अंतर्गत मु0अ0सं0 200/2022 धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तश्कर व हत्या के अभियुक्त अब्बास खान पुत्र स्व0 मुर्तजा खान नि0 ग्राम मोहम्मदपुर थाना जमानियाँ जनपद गाजीपुर की अपने व अपनी पत्नी तथा अपनी माँ के नाम से अर्जित अचल बेनामी सम्पत्ति वर्तमान अनुमानित कीमत कुल 44 लाख रुपये को आज दिनांक 06.07.2024 को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त द्वारा एक गिरोह बनाकर लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने अपने तथा अपने गैंग के सदस्यों के लिए आर्थिक, भौतिक व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आपराधिक कार्य तथा समाज विरोधी क्रियाकलापों से अर्जित बेनामी अचल संपत्ति जो कि अपने तथा अपनी पत्नी व माँ के नाम पर क्रय किया है, जिसका विवरण निम्नलिखित है-

1. मौजा मुहम्मदपुर तालुका चौधरी अजमल परगना व तहसील जमानिया गाजीपुर स्थित आराजी नं0 579 रकबा 0.6870 हे0 का 1/6 अंश यानी 0.114 ½ हे0 विक्रेता छैल बिहारी पुत्र हृदयनरायण निवासी ग्राम मुहम्मद पुर तहसील जमानिया जिला गाजीपुर से अभियुक्त अब्बास खाँ उपरोक्त द्वारा खुद के नाम दिनांक 16.11.2006 को क्रय किया गया है।
2. मौजा मुहम्मदपुर तालुका चौधरी अजमल परगना व तहसील जमानिया गाजीपुर स्थित आराजी नं0 561 रकबा 0.199 हे0 विक्रेता कालिका पुत्र हजारी निवासी ग्राम मुहम्मद पुर तहसील जमानिया जिला गाजीपुर से अभियुक्त अब्बास खाँ उपरोक्त द्वारा अपनी बेनामी सम्पत्ति के रुप मे अपनी माँ मोहिबुन बीबी के नाम से दिनांक 13.04.2007 को क्रय किया गया है

3. मौजा मुहम्मदपुर तालुका चौधरी अजमल परगना व तहसील जमानिया गाजीपुर स्थित आराजी नं0 1161 रकबा 0.1270 हे0 विक्रेता प्रभाकर पुत्र गंगा सागर निवासी ग्राम कुसी तहसील जमानिया जिला गाजीपुर से अभियुक्त अब्बास खाँ उपरोक्त द्वारा अपनी बेनामी सम्पत्ति के रुप मे अपनी पत्नी नजीबुन के नाम से दिनांक 15.09.2022 को क्रय किया गया है।

आपराधिक इतिहास–

अभियुक्त अब्बास खान पुत्र स्व0 मुर्तजा खान नि0 ग्राम मोहम्मदपुर थाना जमानियाँ जनपद गाजीपुर

1मु0अ0सं0-53/2022 धारा 34/147/148/302 भादवि थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर

2.मु0अ0सं0-86/2022 धारा 174ए भादवि थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर

3.मु0अ0सं0- 369/2022 धारा 147/506 भादवि थाना जमानिया जनपद गाजीपुर

4.मु0अ0सं0-200/2022 धारा 3(1)उ0प्र0 गैगेस्टर अधिनियम थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर

5.मु0अ0सं0-693/2015 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना सुहवल जनपद गाजीपुर

6.मु0अ0सं0-1122/2015 धारा धारा 3(1)उ0प्र0 गैगेस्टर अधिनियम थाना सुहवल जनपद गाजीपुर

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर